<u>कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0,</u>

लखनऊःदिनांक 08 अक्टूबर, 2022

<u>यू0पी0 नर्सिग–2022 हेतु अभ्यर्थियो के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

- नर्सिग–2022 की ऑनलाइन काउसिंलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 का नहीं होगा।
- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य माने जायेंगे। यदि भविष्य ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के नर्सिग कालेजो मे संचालितबी0एस0सी0 नर्सिग/ पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिग/एम0एस0सी0/ की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाइस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**
- अभ्यर्थी को सीट आवंटित के पश्चात आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनको प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जायेगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन (Resuffle) हेतु इच्छुक है। ऐसे अभ्यर्थी कालेज की सिक्योरिटी/हास्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित कालेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जायेगी।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नही लेता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है, तो वह रु0 5,000/– धरोहर धनराशि पुनः जमा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियो को शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- अटल विहारी बाजपेई एवं के0जी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा नर्सिग प्रवेश परीक्षा 2022 हेतु जारी ब्रोशर मे निहित दिशा–निर्देश काउन्सिलिंग मे लागू होंगे।
- ब्रोशर के अनुसार उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 जनवरी 2022 अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटो हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही अर्ह होंगे।
- नर्सिग काउन्सिलिंग 2022 मे दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजो /संस्थानो/विश्वविद्यालयो मे गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- निजी क्षेत्र के नर्सिग कालेजो की सीटो हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य प्रदेश के निवासी भी अर्ह है बशर्ते उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा मे प्रतिभाग किया हो और अर्ह हों
- निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कालेज अपनी वेबसाइट पर शुल्क व अन्य मदो में लिये जाने वाले धनराशि का विवरण कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट **<u>https://nursing.upsdc.gov.in, https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in</u>** पर देखी जा सकती है।
- नर्सिंग काउंसिलिंग के संबंध मे किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत हेतु हेतु विभागीय ई–मेल ***<u>nursingcounselingup@gmail.com</u>*** पर सम्पर्क कर सकते है।

महानिदेशक।